28/1/20 पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी क्र. 2 से 6 की तरफ अधिवक्ता मंगलाल ने वकालतनामा पेश किया वाकेल प्रार्थी व सरकारी पेरोकार हाजिर। अप्रार्थी अधिवक्ता ने पत्रावली करने में सहमति जाहिर की प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली मुकम्मल बजमा होकर दाखिल दफ्तर हो।

2. रामुराम पुत्र श्री पाबुराम
3. सोनाराम पुत्र श्री पाबुराम
4. चुतराराम पुत्र श्री पाबुराम
5. नवलाराम पुत्र श्री पाबुराम
6. पुरखाराम पुत्र श्री पाबुराम
   जातियान जाट निवासी नेवरा रोड़
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
7. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से– अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान।

अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की ओर से–अधिवक्ता श्री भंवरलाल सैन।

अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से–सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:– 28/10/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी ग्राम सेवा

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

सहकारी समिति लि. नेवरा गोदाम की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 781/3 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की ग्राम नेवरा रोड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु प्रार्थी की भूमि के दक्षिण पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 781 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा व उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 790 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांशी आई हुई है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थी की भूमि में दखलंदाजी करनी शरू कर दी, तो प्रार्थी ने तहसीलदार ओसियां के समक्ष पेमाईश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान चाही तो तहसीलदार ओसियां ने आदेश क्रमांक संख्या 79 दिनांक 17.01.2020 पारित किया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी व आर.आई. ओसियां ने दिनांक 02.02.2020 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 781/3 का सीमाज्ञान सम्बन्धित पक्षकारान को सूचित कर मिमो ट्रेस की सहायता से मोतबीरान के समक्ष किया जाकर कच्चे मुटाम लगाये गये तथा सीमांकन मौका फर्द तहसीलदार कार्यालय में प्रस्तुत की। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की सीमा को कायम करने के बावजूद भी फिर से उसमें दखलंदाजी व सीमा को खुर्द–बुर्द करने लग गये तथा प्रार्थी कच्चे मुटाम अनुसार पत्थर रोपने लगे तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की भूमि की सीमा पर पत्थर नहीं रोपने दिये। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को समझाने की कोशिष की लेकिन अप्रार्थीगण किसी भी सूरत में नहीं माने एलानिया कहा कि हम तो आपकी भूमि पर काबिज होंगे। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच भयंकर विवाद पैदा हो गया जिसका निस्तारण केवल मात्र जरिये पत्थरगढी आदेश ही हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 781/3 रकबा 01 बीघा मौजा ग्राम नेवरा रोड़ तहसील ओसियां जिला जोधपुर की पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावें साथ ही पुलिस थाना मथानिया के एस.एच.ओ. से पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलवायी जावें।

Scanned with CamScanner

यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान व अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरलाल सैन व अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

यह है कि बहस पक्षकारान सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नेवरा के गोदाम की भूमि हैं जिस पर प्रार्थी का कब्जा है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की सीमाओं पर दखलंदाजी करते है तथा मौके पर सीमाओं को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद है। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 781/3 रकबा 01 बीघा मौजा ग्राम नेवरा रोड़ की पूर्व में किये गये सीमांकन अनुसार पत्थरगढी की जावें तथा पत्थरगढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना मथानिया से आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 28/10/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner